2025/517

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

नोपाराम बनाम तहसीलदार धोद

किस्म मुकद्मा 131,136 LR मु. नं. 236 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा-पत्र
28/07/25	प्रार्थीगण नोपाराम पुत्र श्री भागुराम, जीवणराम पुत्र भूराराम आदि निवासीगण ग्राम मुकन्दपुरा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा आवेदन विषयक ग्राम मुकन्दपुरा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खसरा सं. 474/61 गै.मु.रास्ता की तरमीम दुरुस्त करवाने बाबत के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ. /2025/909 दिनांक 26.05.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसका अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट के अनुसार "प्रार्थी जिस तरमीम को दुरुस्त करवाना चाहता है उक्त तरमीम प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 शिविर ग्राम पं. पेवा में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/भू.अ./25/शिविर/64 दिनांक 05.10.2021 एवं श्रीमान ,जी के आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/30 दिनांक 05.10.2021 की पालना में खसरा सं. 61 रकबा 5.0600 हेक्टेयर के मध्य से प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण सं. 621 दिनांक 20.03.2022 दर्ज कर खसरा सं. 473/61 रकबा 2.6200 हेक्टेयर बारानी—1, खसरा सं. 474/61 रकबा 0.0650 हेक्टेयर गै.मु. रास्ता व खसरा सं. 475/61 रकबा 2.3750 हेक्टेयर बारानी—1 कर दिया गया। जिसके बाद सहमति विभाजन प्रकरण सं. 96 दिनांक 07.10.2024 द्वारा खसरा सं. 473/61 रकबा 2.6200 हेक्टेयर के दो भाग खसरा सं. 535/473 एवं खसरा सं. 536/473 दर्ज कर दिए गए। अतः खसरा सं. 474/61 रकबा 0.0650 हेक्टेयर गै.मु. रास्ता को खसरा सं. 536/473 रकबा 0.1225 हेक्टेयर में से 0.0650 हेक्टेयर गै.मु. रास्ता दर्ज कर विभाजन में बची शेष जमीन 0.1225 हेक्टेयर को खसरा सं. 475/61 रकबा 2.3750 हेक्टेयर में सम्मिलित कर खसरा सं. 475/61 का रकबा 2.4975 हेक्टेयर करने की अभिशंषा की जाती है।" उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जो कि मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है। प्रकरण अ.धारा 131, 136 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/909 दिनांक 26.05.2025 के द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम मुकन्दपुरा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खसरा सं. 474/61 गै.मु.रास्ता के संबंध में तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न (पृष्ठ सं. 1 व 2 उल्लेखित रिपोर्ट के अनुसार) उक्त खसरा की तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार मौके के अनुसार तरमीम व रकबा ऑनलाईन/ऑफलाईन नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में दुरूस्त किया जावें। उक्त कर पालना करते समय यह ध्यान में रखा जावें कि उक्त तरमीम दुरूस्ती करने से किसी भी सीमा से लगते हुये रिपोर्ट में वर्णित खसरानों के अतिरिक्त अन्य खसरान के रकबे में परिवर्तन नहीं हों। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व ... निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान जिम्मेदार होगें। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ. /2025/909 दिनांक 26.05.2025 के द्वारा प्रस्तुत ... संलग्न दस्तावेजात आदेश का अभिन्न अंग रहेगें। आदेश सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली नतीजा शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी,
धोद, जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.29 16:55:56 IST
Reason: SelfAttested